## न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र० (समक्षः – सतीश कुमार गुप्ता)

#### विशेष सत्र प्रकरण कमांक 13/17 संस्थापित दिनांक 10/08/2017

STINIST STATES OF

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र एण्डोरी जिला भिण्ड (म0प्र0)

----अभियोजन विरूद्ध

अशोक चौरसिया पुत्र उदयभान सिंह चौरसिया (जाटव) आयु 45 वर्ष, निवासी छात्रावास अधीक्षक जूनियर बालक स्कूल एण्डोरी, <u>हाल</u> निवासी बी—37 विवेक नगर थाटीपुर, थाना थाटीपुर जिला ग्वालियर (म0प्र0)

----अभियुक्त

राज्य की ओर से – श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अभियुक्त की ओर से – श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

#### <u>//आ दे श//</u>

### (आज दिनांक 28-02-2018 को पारित)

नोट— प्रकरण में अभियुक्त पर पीड़ित बालक के साथ प्रकृति के विरूद्ध स्वेच्छया इंद्रीय भोग किये जाने का आरोप है, ऐसी स्थिति में आदेश में पीड़ित का नाम नहीं लिखा जाकर, पीडित के नाम के प्रथम अँग्रेजी अक्षर के सहयोग से **पीडित''एस''** लिखा जा रहा है।

- 01. प्रकरण में यह आदेश दं.प्र.सं. की धारा 232 के अंतर्गत पारित किया जा रहा है।
- 02. प्रकरण में अभियुक्त पर इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 14.07.17 को दोपहर 2 बजे या उसके आसपास ग्राम एण्डोरी स्थित जूनियर बालक छात्रावास में नावालिंग छात्र पीड़ित ''एस'' के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इंद्रीय भोग किये जाने एवं अव्यस्क बालक पीड़ित ''एस'' के साथ लैंगिक अपराध किये जाने के संबंध में भा.दं.सं. की धारा 377 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का

संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के अंतर्गत आरोप है।

- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी माताप्रसाद का भतीजा पीड़ित 03. ''एस'' विगत दो वर्ष से जूनियर बालक छात्रावास ग्राम एण्डोरी थाना एण्डोरी में रहकर कक्षा 7 में पढ़ता है। दिनांक 14.07.17 को फरियादी अपने भतीजे से मिलने उक्त छात्रावास में गया तो वह फूट-फूट कर रोने लगा और पूछने पर उसने बताया कि आज दोपहर 2 बजे की बात है छात्रावास अधीक्षक अभियुक्त अशोक चोरसिया उसे छात्रावास परिसर के कमरे में ले गये और कहा कि बुखार आ रहा है इस कारण से पैर दबा दो तो पीड़ित ''एस'' ने उसके पैर दबाये और फिर अभियुक्त ने पीड़ित ''एस'' से अपना लिंग सुतवाते हुये पीड़ित के मुंह अपने लिंग को डालकर चुसवाया। तत्पश्चात् उक्त घटना के संबंध में फरियादी माताप्रसाद द्व ारा स्कूल के चपरासी बैजनाथ सहित ग्राम एण्डोरी के उत्तम सिंह को बताते हुये आरक्षी केंद्र एण्डोरी में पीड़ित ''एस'' के साथ पहुंचकर प्र0पी0-5 के अनुसार मौखिक रिपोर्ट लिखाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 377 भा0दं0सं0 एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अप०क० 64 / 17 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के अनुक्रम फरियादी व पीड़ित सहित के धारा 161 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन लेखबद्ध करते हुये पीड़ित का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं पीड़ित-एस के धारा 164 दं.प्र.सं के कथन संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध कराए गए तथा अन्य साक्षीगण के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किए गए। तत्पश्चात अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसका मेडीकल परीक्षण कराते हुये अभियुक्त की जप्तशुदा चड्डी को जांच हेतु एफ.एस.एल. ग्वालियर भेजा गया। अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत अभियोग पत्र लैंगिक अपराधों से संबंधित होने से इस न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 04. विद्वान पूर्व अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 377 भाठदंठसंठ एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध घटित किया जाना अस्वीकार किये जाने से अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में पीड़ित "एस" अ०सा० 1, बैजनाथ अ०सा० 2, माताप्रसाद अ०सा० 3, नाथूराम अ०सा० 4, डाँ० आलोक शर्मा अ०सा०—5 तथा डाँ० धीरज गुप्ता अ०सा०—6 के कथन कराए गए हैं। अभिलेखगत साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं०प्र०संठ के अंतर्गत परिसिथतयां दर्शित नहीं होने से

अभियुक्त का परीक्षण नहीं किया गया एवं अभियुक्त पक्ष द्वारा बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया गया।

05. अब मामले में देखना यह है कि— "क्या अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध मामले को प्रमाणित करने में सफल रहा है ?"

# //सकारण विवेचन एवं निष्कर्ष//

- 06. उक्त संबंध में अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर अभियुक्त अशोक द्वारा पीड़ित "एस" के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इंद्रीय भोग किये जाने अथवा अव्यस्क बालक पीड़ित "एस" के साथ लैंगिक अपराध कारित किये जाने के संबंध में अभिलेख पर पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है, क्योंकि उक्त संबंध में स्वयं पीड़ित "एस" अ०सा०—1 व फरियादी माताप्रसाद अ०सा०—3 सहित अभियोजन पक्ष के अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण बैजनाथ अ०सा०—2 व नाथूराम अ०सा०—4 ने ही अपने न्यायालयीन कथनों में कुछ भी प्रकट नहीं किया है, बल्कि बैजनाथ अ०सा०—2, माताप्रसाद अ०सा०—3 व नाथूराम अ०सा०—4 ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रश्नगत अपराध के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया है।
- 07. इसी प्रकार स्वयं पीड़ित "एस" अ०सा०—1 का अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन के इस मामले के विपरीत कहना है कि एण्डोरी के छात्रावास में वह पढ़ता था, तभी एक अन्य लड़के से झगड़ा हो गया था तो अभियुक्त अशोक चोरसिया ने उसे डांटते हुये चांटा मारा था जिसके संबंध में उसने अपने ह रवालों को बताया था और फिर घर वालों ने गांव वालों को इकट्डा कर रिपोर्ट लिखाई थी तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान भी स्पष्ट रूप से बार—बार स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कभी कोई प्रकृति व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इंद्रीय भोग संबंधी अपराध नहीं किया है। साथ ही पीड़ित "एस" ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 6 में धारा 164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दिये गये कथनों के संबंध में बताया है कि उक्त कथन उसे पुलिस वालों ने समझाये थे और उनके समझाये अनुसार ही उसने बयान दिये थे, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि समझाये अनुसार ही बयान देना है अन्यथा उसके खिलाफ कार्यवाही कर देंगे और वैसे भी अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध मूल साक्ष्य का अभाव होने से एवं धारा 164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत लेखबद्ध कथनों का प्रभाव धारा 161 दं०प्र०सं० के समान ही होने के कारण उक्त कथनों के आधार पर मामले

में अभियुक्त की दोषसिद्धी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

- 08. अभियोजन की ओर से ए०जी०पी० द्वारा पीड़ित "एस" अ०सा०—1 व फरियादी माताप्रसाद अ०सा०—3 सहित अन्य साक्षीगण बैजनाथ अ०सा०—2 व नाथूराम अ०सा०—4 से विस्तृत सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उनके कथनों में ऐसी कोई बात अभिलेख पर नहीं आई है, जो कि विचारणीय अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के मामले को बल प्रदान करती हो, बल्कि उक्त संबंध में अभियोजन पक्ष द्व रारा रखे गये समस्त सुझावों को उक्त सभी साक्षीगण ने दृढ़तापूर्वक गलत होना बताते हुये पुलिस को कमशः प्र०पी०—3, प्र०पी०—6, प्र०पी०—4 व प्र०पी०—7 के अनुसार कथन दिये जाने से इंकार किया है एवं फरियादी माताप्रसाद अ०सा0—3 ने प्र०पी०—5 के अनुसार पुलिस को रिपोर्ट लिखाये जाने से इंकार किया है।
- 09. प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध विचारणीय अपराध के संबंध में अभिलेख पर मूल साक्ष्य का अभाव होने से मेडीकल विशेषज्ञ होकर शेष औपचारिक साक्षीगण डाँ० आलोक शर्मा अ०सा०: एवं डाँ० धीरज अ०सा०—6 के कथनों सहित एफ०एस०एल० रिपोर्ट की विस्तृत विवेचना किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है, क्योंकि एफ.एस.एल. रिपोर्ट में अभियुक्त अशोक की ही चड्डी पर उसके मानव शुकाणु पाया जाना बताया गया है, जिसे अस्वाभाविक होना नहीं माना जा सकता है तथा मेडीकल विशेषज्ञ डाँ० आलोक शर्मा अ०सा०—5 ने मेडीकल रिपोर्ट प्र०पी०—8 को प्रमाणित करते हुये प्रकट किया है कि मेडीकल परीक्षण के आधार पर स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त ने मुख मैथुन कराया था या नहीं एवं डाँ० धीरज गुप्ता अ०सा०—6 ने पीड़ित ''एस'' के शरीर पर कोई चोट नहीं पाया जाना बताया है। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण के कथनों सहित एफ०एस०एल० रिपोर्ट में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात अभिलेख पर नहीं आई है, जिसके आधार पर अभियुक्त की मामले में दोषसिद्धी सुनिश्चित की जा सके,
- 10. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर विचारणीय अपराध के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर पूर्णतः साक्ष्य का अभाव होने से यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त अशोक ने दिनांक 14.07.17 को दोपहर 2 बजे या उसके आसपास ग्राम एण्डोरी स्थित जूनियर बालक छात्रावास में नावालिग छात्र पीड़ित "एस" के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध स्वेच्छया इंद्रीय भोग किया एवं अव्यस्क बालक पीड़ित "एस" के साथ लैंगिक अपराध किया। तद्नुसार अभियोजन का यह मामला अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित नहीं पाये जाने से अभियुक्त अशोक को दं.प्रं.सं संहिता की धारा 232 के

अंतर्गत धारा 377 भा०दं०सं० एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 11. आरोपी इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है, उसके जेल वारंट पर नोट अंकित की जाए कि यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल छोड़ा जावे।
- 12. अभियुक्त का धारा ४२८ द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।
- 13. निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड को भेजी जावे।
- 14. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील नहीं होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड